



इट्टावा पुलिस

प्रेस नोट दिनांक- 18.11.2023



#OPERATION CONVICTION

इट्टावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते हत्या के लिए अपहरण करने वाले 05 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय इट्टावा द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को 5,000/- रुपये का अर्थदंड दिया गया ।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इट्टावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में थाना भरथना व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते हत्या के लिए अपहरण करने वाले 05 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय इट्टावा द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को 5,000/- रुपये का अर्थदंड दिया गया ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 16.03.2007 को थाना भरथना पर अध्यापक श्री राजेश कुमार का अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अपहरण करने किये जाने के संबध में मु0अ0सं0 96/07 धारा 364 भादवि व 3(2)(5) SC/ST एक्ट पंजीकृत कराया गया था ।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी उ0नि0 बी के सिंह द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तगण 1. नरेन्द्र सिंह 2. अरविन्द 3. सत्यवीर शाक्य 4. लाल सिंह उर्फ लल्लन 5. रामऔतार के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय इट्टावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इट्टावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना भरथना पुलिस टीम, पैरोकार का0 तरूण प्रताप सिंह एवं मानीटरिंग सैल व सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री रमाकान्त चतुर्वेदी द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इट्टावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी । जिसके परिणामस्वरूप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्तों को आज दिनांक 18.11.2023 विशेष न्यायाधीश एससी/ एसटी एक्ट जनपद इट्टावा द्वारा आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को 5,000/- रुपये का अर्थदंड दिया गया ।

सजायाफ्ता अपराधी-

1. नरेन्द्र सिंह पुत्र नाथूराम शाक्य निवासी गाहपुरा, थाना इन्दरगढ़ जनपद कन्नौज ।
2. लाल सिंह उर्फ लल्लन शाक्य पुत्र कृष्णमुरारी निवासी देवरासरई थाना भरथना जनपद इट्टावा ।
3. रामऔतार पुत्र गौरीशंकर शाक्य निवासी देवरासरई थाना भरथना जनपद इट्टावा ।
4. अरविन्द पुत्र देवीदीन शाक्य निवासी सरैया विशुनगढ़ जनपद कन्नौज ।
5. सत्यवीर शाक्य पुत्र रामनरायन निवासी दासौपुरा थाना भरथना इट्टावा ।